

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को की गयी शिकायत पर
कार्रवाई न होने अथवा कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर अपील हेतु आवेदन

प्रेषक,

दिनांक:-

नाम -

ग्राम - , पंचायत -

प्रखंड - , जिला

मोबाईल नंबर

सेवा में,

अध्यक्ष

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल,

हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची-834002

विषय:-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-15(6) के तहत अपील।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे द्वारा दिनांक-को

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता,(जिला) को इस

योजना के संबंध में निम्न शिकायत दर्ज की गयी थी:-

1.

2.

3.

(आवेदन की प्रति पावती एवं अन्य प्रमाणों के साथ संलग्न है)

इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है/अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश से असंतुष्ट हूँ।

अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15(6) के तहत राज्य खाद्य आयोग के समक्ष यह अपीलवाद दर्ज कर रहा हूँ। अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में नियमसंगत कार्रवाई करने एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकार दिलाने की कृपा की जाय।

संलग्न - 1. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, को जमा शिकायत पत्र की प्रति (पावती एवं अन्य प्रमाण के साथ)

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम -